

रोज वं एस. इन्त्./एस. पी. 568 लाइसंन्स नं 0 इन्त् 0 पी0—48 साइसंन्स द पोस्ट एट कन्संग्रसल रहे

सरकारी गजह, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश ग्रधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 17 श्रगस्त, 1991 श्रावण 26, 1913 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1507 (सन्नह-वि-1-1 (क)-16-1991 लखनऊ, 17 अगस्त, 1991

ग्रधिसूचंना विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1991 पर दिनांक 17 अगस्त, 1991 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1991 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिमुचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) अधिनियम, 1991

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1991]

(जैंसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बयालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता, हैं:---

ं 1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) अधिनियम, संक्षिण्त नाम ग्रीर प्रारम्भ

्रे. (2) धारा 2, दिनांक 28 अगस्त, 1990 को प्रवृत्त हुयी समभी जायेगी और शेष उपवन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 10 सन् 1939 ਸੇ ਜੁई धारा 10-क का भढ़ाया जाना

A. 3. 160

2—संयुक्त प्रान्त मारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 की, जिसे आगे मूल भाधिनियम कहा गया है, धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारा नढ़ा दी जायेगी,

> नियंत्रक नियुक्त करने की सरकार की शक्तित

"10-क (1) जहां किसी भी कारण से तत्समय बोर्ड के सदस्यों की संख्या घटकर घारा 18 में व्यवस्थित गणपूर्ति से कम हो जाय, वहां राज्य सरकार, अधिसुचना झरा, बोर्ड को अतिक्रमित कर सकती हैं और दो वर्ष से अनिधिक एंसी अवधि के लिए जैसी अधिसुचना मे बिनिर्दिष्ट की जाय या उपधारा (4) के अधीन आधि. स्चना के दिनांक तक के लिये, जो मी पहले हो, नियंत्रक नियुक्त कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियंत्रक की नियुक्ति होने पर-

(क) बॉर्ड के समस्त सदस्य जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मी सम्मिलित हैं, एंसे सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं रह जायेगे;

(ख) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सलाहकार समिति, यदि कोई हो, विघटित हो जायेगी;

- (ग) निदंशक, आयुर्वेदिक और युनानी सेवा, उत्तर प्रदेश को छोड़कर संकाय के समस्त सदस्य (जिसके अन्तर्गत चंयरमेंन मी है) पटारुढ़ नहीं रहेंगे और नियंत्रक उपयुक्ति निदेशक के साथ संकाय गठित करोंगे:
- (घ) नोर्ड, अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष की समी शक्तियां, कृत्य कर्तव्य नियंत्रक में निहित होंगे और उनकी शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन नियंत्रक हारा किया जायेगा और अवसर के अनुसार जैसा अपेक्षित हो, नियंत्रक को बोर्ड, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष समभा जायेगा।
- (3) नियंत्रक की नियुक्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य सरकार धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (1) और (2) के अधीन अध्यक्ष और अन्य सटस्यों को नाम-निर्टिष्ट करने और उक्त उपधारा के लण्ड (3), (4), (5) और (6) के अधीन सदस्यों का नियचिन कराने के लिए कोर्य-
- (4) जैसे ही धारा 18 के अधीन गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों (अध्यक्ष सहित) की न्युनतम संख्या की धारा 8 के अधीन यद्यास्थिति, चुनाव या नामांकन अधिसृचित कर टिया जाय, राज्य सरकार अधिसुचना द्वारा, घोषणा कर सकती है कि बोर्ड का पुनर्गठना हो गया है और तद्वपरान्त नियंत्रक काम करना बन्द कर देगा।"

निरसन और भ्रपवाद

- 3-(1) उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) '(द्वितीय)' अध्यादेश, 1991 उत्तर एतट्डारा निरसित किया जाता है।
- (2) एंसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश हारा या उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश, 1990 हारा या उत्तर प्रदेश सन् भारतीय चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश, 1991 हारा यथासंशोधित मूल अधिनियम उत्तर के उपवन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समभी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपवन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे। सन्

याजा से, नारायण दास सचिव ।

No. 1507 (2)/XVII-V-1-1 (KA)-16-1991 Dated Lucknow, August 17, 1991

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bhartiya Chikitsa (Sanshodhan) Adhiniyam, 1991 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 22 of 1991) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by Governor on August 17, 1991 :

THE UTTAR PRADESH INDIAN MEDICINE (AMENDMENT)

ACT, 1995

[U.P. Acr No. 22 or 1991]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

ACT

further to amend the United Provinces Indian Medicine Act, 1939.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-second Year of the Republic of India as follows:—

(1) This Act may be called the Utttar Pradesh Indian Medicine (Amendment) Act, 1991.

- (2) Section 2 shall be deemed to have come into force on August 28, 1990 and the remaining provisions shall come into force
- 22 After section 10 of the United Provinces Indian Medicine Act, 1939, hereinafter referred to as the principal Act, the following section U.P. Act no. 10 shall be inserted, namely :-

Insertion of new

- "10-A. (1) Where the number of members of the Board for the time being is, for any reason whatsoever, Powers reduced to less than the quorum provided in of the Government section 18, the State Government may, by appoint controller notification, supersede the Board and appoint a Controller for such period not exceeding two years as may be specified in the notification or up to the date of notification under sub-section (4) whichever is earlier.
- (2) Upon the appointment of the Controller under subsection (1),—
 - (a) all members of the Board including the President and the Vice-President shall, cease to be such members, President or Vice President ;
 - (b) the advisory Committee, if any, appointed under subsection (1) of section 17 shall stand dissolved;
 - (c) all members (including the Chairman) of the Faculty, except the Director of Ayurvedic Unani Services, Uttar Pradesh shall cease to hold office and the Controller, together with the aforesaid Director constitute the Faculty;

- (d) all powers, functions and duties of the Board, the President and the Vice-President shall be vested in and be exercised, performed and discharged by the Controller and the Controller shall be deemed to be the Board, the President or the Vice-President as the occasion may require.
- (3) As soon as may be after the appointment of the Controller the State Government shall take steps to nominate a President and other members under clauses (1) and (2) of sub-section (1) of section 5 and to hold elections of members under clauses (3), (4), (5) and (6) of that sub-section.
- (4) As soon as the elections or nominations, as the case may be, of atleast such number of members as is required under section 18 for the quorum (including the President) are notified under section 8, the State Government may by notification declare that the Board is reconstituted and thereupon the Controller shall cease to function."

Repeal and Saving

- 3. (1) The Uttar Pradesh Indian Medicine (Amendment (Second) Ordinance, 1991, is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) or by the Uttar Pradesh Indian Medicine (Amendment) Ordinance, 1990, or by the Uttar Pradesh Indian Medicine (Amendment) Ordinance, 1991, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

NARA